

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 89]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 फरवरी 2020—फाल्गुन 10, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2020

क्र. एफ ए-3-40-2018-1-पांच-(12).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20, सन् 2002) की धारा 20 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचनाएं क्रमांक एफ ए-3-40-2018-1-पांच (64), दिनांक 27 सितम्बर 2019 एवं क्रमांक एफ ए-3-46-2019-1-पांच (91), दिनांक 29 नवम्बर 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में अंक एवं शब्द “29 फरवरी, 2020” के स्थान पर अंक एवं शब्द “30 जून, 2020” प्रतिस्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2020

क्र. एफ ए-3-40-2018-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-40-2018-1-पांच-(12), दिनांक 29 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 29th February 2020

No. F A-3-40-2018-1-V-(12).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby makes the following amendment in this department's notifications No. F. A-3-40-2018-1-V-(64), dated 27th September, 2019 and No. F A-3-46-2019-I-V- (91), dated 29th November 2019, namely:—

AMENDMENT

In the said notifications, for the word and figure “29th February, 2020”, the word and figure “30th June, 2020” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.